



2026:AHC:47994

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-सी संख्या- 5198 सन् 2026

शरीफा बेगम उर्फ शरीफा खातून

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : शिवकांत

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 के अन्तर्गत दाखिल मामला संख्या 632 सन् 2024 (कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी 202402250200632), शरीफा बेगम बनाम साबिर खान में प्रत्यर्थी संख्या 2/ नायब तहसीलदार जहानाबाद, तहसील-बिंदकी, जिला फतेहपुर द्वारा दिनांकित 09.09.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याची के पास उप-मण्डल अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रावधान है।

3. तदनुसार, वैधानिक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका खारिज की जाती है।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"